प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 03.01.2025**

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी अभियुक्त को 09 वर्ष 04 माह के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 07.08.2015 को मुखबिर की सूचना पर थाना अफजलगढ पुलिस टीम ने पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त जयवीर सिंह पुत्र राजेश निवासी ग्राम हासफाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अवैध शस्त्र मय कारतूस व चोरी के एक भैंसा सहित गिरफ्तार किया गया था व मौके से अभियुक्त वीर सिंह पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम भेडा भरतपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा फरार हो गया था। इस संबंध मे थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 299/15 धारा 34/307 भादवि पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे-06 जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 299/2015 धारा 34/307 भादवि के आरोपी अभियुक्त वीर सिंह पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम भेडा भरतपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को 09 वर्ष 04 माह के कारावास व कुल 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- वीर सिंह पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम भेडा भरतपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात   दिनांक 03.01.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी के मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.01.2025 को वादी श्री विवेक पुत्र प्रमोद निवासी ग्राम करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 01.01.2025 की रात्रि में वादी के घर से अज्ञात चोर द्वारा वादी का मोबाइल चोरी किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 01/25 धारा 305ए बीएनएस में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त साकिब पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 मोमीन नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को चोरी के मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

साकिब पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 मोमीन नगर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

चोरी का एक मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2- उ0नि0 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

3- मुख्य आरक्षी 627 राजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

4- आरक्षी विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर **दिनांक - 03.01.2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी की 02 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण :-

जनपद में अपराध की रोकथाम, लूट, चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गौतम पुत्र तुलाराम सैनी निवासी ग्राम सकतलपुर मिलक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की 02 मोटरसाइकिल
1- स्प्लैण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 DL4SCV0806
2- स्प्लैण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP20BS9789
सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त गौतम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा एक मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 DL4SCV0806) को रोहिणी दिल्ली से चोरी किया गया था तथा दूसरी मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 UP20BS9789) को सानू पुत्र मकसूद निवासी ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर से 5000/- रुपये में खरीदा था।

उपरोक्त चोरी की घटनाओं के संबंध में थाना नोर्थ रोहिणी दिल्ली पर मु0अ0सं0 037362/21 पंजीकृत है तथा थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 622/24 धारा 379 आईपीसी पंजीकृत है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गौतम पुत्र तुलाराम सैनी निवासी ग्राम सकतलपुर मिलक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

1- स्प्लैण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 DL4SCV0806
2- स्प्लैण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0 UP20BS9789

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -</u>

1- मु0अ0सं0 037362/2021 थाना नोर्थ रोहिणी दिल्ली।

2- मु0अ0सं0 622/24 धारा 379 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

3- मु0अ0सं0 06/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1- उ0नि0 अन्नु कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

2- आरक्षी देवेन्द्र कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

3- आरक्षी आशीष कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 03.01.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1154/2024 धारा 333/115(2)/109(1)/351(3) में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.12.2024 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 18.12.2024 को वादिया का भाई शकील अपने घर बैठा था । इसी दौरान अभियुक्तगण 1.इकबाल पुत्र नामालूम 2.शबनम पत्नी नामालूम 3.शबनम का पति नामालूम निवासीगण ग्राम रामपुर बकली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.नदीम पुत्र नामालूम निवासी नामालूम द्वारा वादिया, वादिया के पति व भाई के साथ जान से मारने की नियत मारपीट की गयी । तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1154/2024 धारा 333/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 03.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त मुक्कार पुत्र इकराम निवासी बक्शीवाला जौधूवाला रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मुक्कार पुत्र इकराम निवासी बक्शीवाला जौधूवाला रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

2.कां0 2605 निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर दिनांक – 03.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 03 अभियुक्तों को चोरी की गयी मोटरसाइकिल व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त एक अन्य मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.01.2025 को वादी श्री जकीउद्दीन पुत्र श्री रशीद उद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 25.12.2024 को शाम के समय चर्च के बाहर से अज्ञात चोरों वादी की मोटरसाइकिल ग्लैमर नं0 UP20AH3753 चोरी कर ली । इस सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 3/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

दिनांक 02.01.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.नीरज पुत्र अशोक निवासी ग्राम गुजरपुरा जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर, 2.हरिश पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गुजरपुर जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.संजीत पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम गुजरपुर जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटर साईकिल ग्लैमर नं0 UP20AH3753 सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अन्य मोटरसाइकिल नं0 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे UP20BX7053 भी बरामद की गयी। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.नीरज पुत्र अशोक निवासी ग्राम गुजरपुरा जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.हरिश पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गुजरपुर जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.संजीत पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम गुजरपुर जसपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी की गयी मोटरसाइकिल हीरो ग्लेमर नं0 UP20AH3753
मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे UP20BX7053 (सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री सुरेशपाल सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.हे0कां0 481 अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.का0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
4.का0 1892 दीपक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
5.का0 2167 अरुण कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
6.का0 1647 अक्षय कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
7.का0 2061 संदीप कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
8.का0 2218 गौरव कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर